झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
(खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय)

संविदा के आधार पर क्रीड़ा प्रशिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापनः–

पर्यटन, कला–संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग, झारखण्ड, राँची के अन्तर्गत खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय के नियंत्राधीन संचालित आवासीय प्रशिक्षण केन्द्रों में क्रीड़ा प्रशिक्षक के कुल 34 रिक्त पदों पर संविदा पर नियुक्ति हेतु इच्छुक अर्हत्ताधारियों से निम्न प्रकार शर्त्तों एवं निर्देशों के अनुरूप विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैंः–

1. संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु रिक्त पदों की कोटिवार विवरणी निम्नवत् हैः–

क्र०सं०	कोटि	उदग्र आरक्षण (कुल रिक्त)
1	अनारक्षित	17
2	अ०जा०	03
3	अ०ज०जा०	09
4	पि०व०(अनु०–I)	03
5	पि०व०(अनु०–II)	02
	कुल	**34**

नोटः– आवश्यकतानुसार रिक्तियों की संख्या घट या बढ़ सकती है।

2. खेल विधावार रिक्ति निम्नवत् हैः–

हॉकी – 08
फुटबॉल – 12
तीरंदाजी – 04
एथलेटिक्स – 07
बैडमिंटन – 01
बॉलीबॉल – 01
साईकिलिंग – 01

3. (क) अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताः–

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक और

(ii) राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान से किसी खेल विधा में पूर्णकालिक (रेगुलर) डिप्लोमा

(ख) अतिरिक्त खेल संबंधी अर्हत्ताः–

भारतीय ओलम्पिक संघ (IOA) से मान्यता प्राप्त किसी खेल में किसी भी आयु/वर्ग में अन्तरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय/सैफ (SAF) खेलों के साथ–साथ भारतीय ओलम्पिक संघ से मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय खेल प्रतिस्पर्धा में व्यक्तिगत या समूह में पदक विजेता को अतिरिक्त अंक आवंटित किये जायेंगे।

4. उम्रः– उम्र की गणना तिथि 01.01.2017 होगी। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प ज्ञापांक 609 दिनांक 25.01.2016 के अनुसार निम्नवत् होनी चाहिएः–

क्र०	श्रेणी	उम्र
1	अनारक्षित	35 वर्ष
2	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (BC-I एवं BC-II)	37 वर्ष
3	महिला (UR/BC-I/BC-II)	38 वर्ष
4	ST/SC (पुरूष एवं महिला)	40 वर्ष

नोटः— खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय के नियंत्रणाधीन संचालित आवासीय प्रशिक्षण केन्द्रों में पूर्व से मानदेय पर कार्यरत प्रशिक्षकों को उम्र सीमा में छूट दी जाएगी एवं उनके कार्य अनुभव का वर्षवार अलग से अंक निर्धारित किया जायेगा।

5. **संविदा राशिः**— चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति की अवधि में वित्त विभाग के संकल्प सं०—965 दिनांक 25.03. 2009, एवं परिपत्र सं०—2176, दिनांक 28.07.15 के अनुसार कुल 31,611/—रूपये मात्र प्रतिमाह एकमुश्त संविदा राशि (भत्ता) का भुगतान किया जायेगा।

6. **आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजः**—

   (i) शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।

   (ii) राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान से किसी खेल विधा में पूर्णकालिक डिप्लोमा की योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र।

   (iii) जाति प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति।

   (iv) अद्यतन स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र। (दिनांक 02.06.2016 के बाद बना हुआ)

   (v) प्रशिक्षक के रूप में कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र।

   (vi) मैट्रिक सर्टिफिकेट की अभिप्रमाणित छायाप्रति।

   (vii) खेल संबंधी उपलब्धि का प्रमाण पत्र।

7. **नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रियाः**— उम्मीदवारों की चयन तत्संबंधी गठित चयन समिति एवं साक्षात्कार समिति के द्वारा साक्षात्कार एवं ट्रायल के आधार पर किया जायेगा।

8. संविदा के आधार पर नियुक्ति तीन वर्ष के लिये होगी। वित्त विभाग के परिपत्र सं० 4569 दिनांक 05.07.2002 के आलोक में अवधि विस्तार का निर्णय कार्य की समीक्षा के उपरांत लिया जा सकेगा।

9. आवेदन करने हेतु इच्छुक अभ्यर्थी को आवेदन शुल्क के रूप में **रू 50/— (पचास)** रूपये मात्र का Online भुगतान करना होगा।

10. इच्छुक अभ्यर्थी ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संविदा पर आधारित नियुक्तियों के लिए निर्मित Online Recruitment Portal, जिसका URL: **www.applyrdd.jharkhand.gov.in** है, के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन समर्पित कर सकते हैं। Online आवेदन समर्पित करने हेतु लिंक दिनांक 01.09.2017 से 21.09.2017 तक उपलब्ध रहेगा। आवेदन के ऑनलाईन प्रारूप के अनुरूप सूचना अंकित किया जाना एवं अभिलेख अपलोड किया जाना अनिवार्य है।

11. उक्त आवेदन से संबंधित किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी (गैर तकनीकी) के लिए अभ्यर्थी खेलकूद एवं युवाकर्य निदेषालय, झारखण्ड, राँची के **दूरभाष सं०— 0651—2400740** पर तथा तकनीकी जानकारी हेतु ग्रामीण विकास विभाग के **श्री किसलय कुमार मोबाईल नं०—9955548128, ईमेलः— recruit.rdd@gmail.com** से सम्पर्क कर सकते हैं।

निदेशक,
खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय,
पर्यटन, कला—संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।